





















# कार्यालय नगर पंचायत डेरवा बाजार, जनपद-प्रतापगढ़

## उपविधि

नगर पंचायत डेरवा बाजार जनपद प्रतापगढ़ में उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 (2) के शीर्षक (ए)(बी)(सी) तथा जे०डी० १८ वं धारा 212क के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके अपनी सीमा के बाहर ५ किलोमीटर की परिधि में भवन निर्माण उपविधि बनाई है। जिसका नगर पंचायत डेरवा बाजार बोर्ड प्रस्ताव संख्या-०६ दिनांक-१२.०८.२०२४ के आलोक्य में तैयार उपरोक्त उपविधि दर या अन्य सम्बन्ध में सम्बन्धित व्यक्ति अपनी आपत्ति सुझाव नगर पंचायत डेरवा बाजार के कार्यालय में प्रकाशन की तिथि से २१ दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है जिसका नियमानुसार निस्तारण किया जायेगा परन्तु २१ दिन के बाद प्राप्त आपत्ति सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। नगर पंचायत डेरवा बाजार (प्रतापगढ़) उपविधि राजपत्र में प्रकाशन तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

१-संक्षिप्त नाम व विस्तार-(१) यह उपविधि भवन एवं प्रोजेक्शन उपविधि, २०१९, नगर पंचायत डेरवा बाजार, जनपद प्रतापगढ़ कहलायेगी।

(२) यह उपविधि उ०प्र० सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

(१) "भवन निर्माण" से तात्पर्य नगर पंचायत की सीमा के अन्दर होने वाले किसी भी भवन के नये निर्माण, पुनर्निर्माण वर्तमान भवन में परिवर्तन आदि से है तथा नगर पंचायत की सीमा के ५ कि०डी० बाहर तक लागू रहेगी।

(२) "प्रोजेक्शन" से तात्पर्य नगर पंचायत की सीमा के अन्दर सार्वजनिक एवं सरकारी सड़क या नाली के ऊपर छज्जा या चबूतरा आदि के निर्माण से है।

(३) "अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य नगर पंचायत में नियुक्त अधिशासी अधिकारी से है।

३-(१) नगर पंचायत के क्षेत्राधिकार के किसी भवन या उसके किसी स्थान में निर्माण, पुनर्निर्माण या उसमें सारवान परिवर्तन अथवा बड़ा करने के अभिप्राय से अथवा छज्जा या चबूतरा बनाने के अभिप्राय से व कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आवेदक को धारा १७८(१) के अन्तर्गत नगर पंचायत को नोटिस देना होगा-

[क] प्रार्थी को स्वीकृति चाहने हेतु एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगा जो कि रु० १०.०० के कोर्ट फीस स्टाम्प पेपर पर होगा।

[ख] इस प्रार्थना-पत्र के साथ प्रार्थी को दो मानचित्र प्रस्तुत करने होंगे। इन मानचित्रों में प्रस्तावित मकान का पूर्ण विवरण दिया जा जावेगा तथा यह भी दर्शाया जावेगा। कि बनाने से पूर्व भूमि की क्या दषा है और भूमि का कितना क्षेत्रफल है।

[ग] प्रार्थी इन मानचित्र के साथ एक प्रमाण-पत्र इस आशय का प्रस्तुत करेगा कि यह भूमि जहाँ निर्माण कार्य करना चाहता है उसकी अपनी है, उसका ब्यौरा प्रस्तुत करेगा।

[घ] प्रार्थना-पत्र में निर्माण का विवरण देते हुए वह स्पष्ट करेगा कि वह मरम्मत या फेरवदल या ऊपरी भाग का पूर्ण नवनिर्माण करना चाहता है।

[च] जिस आर्किटेक्ट से नक्शा बनवायेगा, उसी से उस भवन का अनुमानित लागत का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करेगा।

[छ] नक्शा ग्राफ पेपर या ब्लू प्रिन्ट होंगे और दूसरा नक्शा जो नगर पंचायत डेरवा बाजार में रखा जायेगा, वह क्लासिक स्थान पर होगा। अन्य दस्तावेज जैसा पालिका अपेक्षा करें, जमा किया जायेगा।

(२) धारा ३(१) के अन्तर्गत दिये गये नोटिस के साथ नगर पंचायत के अवशेष करो एवं निश्चित किया गया शुल्क की रसीद लगाना अनिवार्य है इसके बिना नोटिस वैद्य नहीं होगा।

(३) भवन के निर्माण के लिए रसीद जारी न किये जाने की दशा में अदा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(४) नगर पंचायत के क्षेत्राधिकार के अन्दर किसी भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण या किसी भवन में या उसके किसी भाग में परिवर्तन या बड़ाने या प्रोजेक्शन के नोटिस के साथ मानचित्र या सूचनायें दो प्रतियों में दी जायेगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सार्वजनिक सड़कों तथा गलियों के सहनिकट दरवाजा या खिड़की खोलने के लिए मानचित्र की आवश्यकता नहीं है।

(५) प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तावित स्थान का मानचित्र एक मीटर बराबर एक सेंटीमीटर के पैमाने से कम नहीं रहिंगा और उसमें निम्नलिखित दर्शाया जायेगा।

[क] स्थल की सीमायें और उनकी माप सीमावर्ती भूमि जो उसके स्वामी की है।

[ख] भवन के सहनिकट की गलियों की चौड़ाई मौहल्लों का नाम, भवन की सीमायें प्रदर्शित होंगी।

[ग] हर मंजिल का नक्शा शहर के सहनिकट खुलने वाले दरवाले तथा खिड़कियों आदि की रिथित।

[घ] नक्षों में नदीन निर्माण जिसके लिए प्रार्थना-पत्र दिया गया है लाल रंग से तथा पुराने भवन नीले रंग से दिखाया जायेगा।

[च] भवन के पास सरकारी बिजली की लाइन की क्षेत्रिज दूरी स्पष्ट रूप से मानचित्र पर अंकित की जायेगी।

४- निर्माण की स्वीकृति धारा १८० के अन्तर्गत की जायेगी। प्रत्येक स्वीकृति छ: माह तक वैद्य होगी। किन्तु प्रार्थी द्वारा समय बढ़ाने के प्रार्थना-पत्र पर मूल स्वीकृति से दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

५- यदि निर्माण की स्वीकृति दी जाने के उपरान्त नगर पंचायत की किसी समय यह संतुष्टि हो जाये कि किसी गलत सूचना के आधार पर अनुमति ली गई है तो नगर पंचायत अनुमति रद्द कर सकती है। इस प्रकार की अनुमति के अन्तर्गत किया गया कोई कार्य बिना अनुमति किया माना जायेगा।

६- अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी तथा इनके द्वारा अधिकृत सदस्य या कर्मचारी किसी भी समय स्वीकृति चाहने वाले कार्यों का निरीक्षण कर सकता है।

७- भवन निर्माण हेतु दी गई स्वीकृति का प्रभाव धारा १८४ के अनुसार होगी।

८- चलांचित्र भवन बनाने की अनुमति जिलामजिस्ट्रेट द्वारा दी गई अनुमति के पश्चात प्रदान की जायेगी।

९- भवन निर्माण हेतु नक्षे में प्रोजेक्शन एवं चबूतरे का विवरण स्पष्ट अंकित किया जायेगा। प्रोजेक्शन की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के साथ दी जायेगी।

(१) भवन के ऊपरी मंजिल से बालकनी, बरामदा, छज्जा या अन्य प्रक्षेप ऐसी सड़क के ऊपर नहीं बनाया जायेगा जिसकी चौड़ाई १२ फिट से कम हो।

(२) किसी भी प्रक्षेप की चौड़ाई ३ फिट से अधिक नहीं होगी किन्तु सड़क के धरातलसे प्रक्षेप की ऊचाई १२ फिट से कम नहीं होगी।

(३) यदि प्रस्तावित प्रक्षेप से बिजली की लाइन तक पहुँच सकना सम्भव होगा तो प्रक्षेप की अनुमति न दी जायेगी। जब तक पहुँच सकना सम्भव न हो जाय।

(४) प्रत्येक प्रक्षेप के लिए शुल्क अलग-अलग लिया जायेगा। यदि एक ही भवन में दो या अधिक मंजिलों पर प्रक्षेप बनत हैं तो शुल्क अलग-अलग लिया जायेगा।

१०- अधिनियम की धारा १८६ के अन्तर्गत निर्माण को रोकने तथा निर्माण किये गये भवन को गिराने का अधिकार इन उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी होगा।

(१) इन उपविधियों की किसी बात से यह न समझा जायेगा कि वह सब सड़कों व नलियों के ऊपर अतिक्रमण तथा प्रक्षेपों को हटाने के लिए नगरपालिका अधिनियम की धारा २११ के द्वारा नगर पंचायत को प्रदत्त किसी अधिकार को कम करती है, भले ही ऐसे अतिक्रमण तथा प्रक्षेपों के लिए स्वीकृति दे दी हो।

११- प्रस्तुत मानचित्र पर अधिशासी अधिकारी द्वारा धारा १८० एवं धारा २९८ शीर्षक (ज) में निहित प्रावधानों के सम्बन्ध में एवं निर्माण की रीति अभीवियों, विमनियों, नलियों शौचालयों, संडासों, मूत्रालयों और मलकूप की स्थिति, वायु के निर्वाचन संचरण को सुनिश्चित करने, आगे लगने की रोकथाम के लिये भवन के चारों ओर छोड़ा जाने वाला स्थान, मंजिलों की संख्या अन्य ऐसे विषय जिससे सतायन या स्वच्छता पर प्रभाव पड़ता हो, भवन के बाहर ग्रीन एरिया के अनुपाल, रेनवाटर, हार्वेस्टिंग इत्यादि के सम्बन्ध में यथावध्य विचार किया जायेगा। विषेष ध्यान रखा जायेगा कि भवन में आगन या वाटिका के लिए कुछ भूमि खाली छोड़े लाये खाली भूमि के क्षेत्र

का निर्धारण मौके की स्थिति को ध्यान में रखकर किया जायेगा। तदुपरान्त मानचित्र हेतु स्वीकृत अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।

१२- यदि मानचित्र अस्वीकृत किया जाता है तो पालिका द्वारा कारणों को दर्शाते हुए आपत्तियों को दुरुरत करने की अपेक्षा की जा सकती है। तदुपरान्त पनु: आवेदन किया जा सकता है। इस हेतु कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

१३- आर्किटेक्ट के लिए रु० १०,०००.०० (दस हजार रुपय) वार्षिक शुल्क लेकर लाईसेन्स दिया जा सकता है। लाईसेन्स की अवधि १ अपैल से ३१ मार्च होगी। लाईसेन्स जारी होने के उपरान्त अन्य आर्किटेक्ट से बनाया हुआ मानचित्र अवैध करार दिया जा सकता है।





खरीफ की 10 फसलों के लिए केन्द्र को मैजेंगे एमाएसपी के लिए सुझाव



लोकमित्र संचाद

लखनऊ। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में शुक्रवार को विधान भवन में खरीफ फसलों के न्यूट्रिम समर्थन मूल्य निधारण के लिए केन्द्र सरकार का सुझाव देने के उद्देश से प्रदेश स्तरीय न्यूट्रिमर्सार्टी परिषद की बैठक हुई। बैठक के दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि हमें खरीफ फसलों हेतु एमाएसपी परामर्श इस आधार पर निधारित करना चाहिये जिससे प्रदेश के किसानों का अधिक से अधिक हित तथा लाभ हो। इस दौरान मूल्य













